

प्रकरण क्रमांक - 5737/2018 (विदशा/अ.र.)
नगरानी

/2018 निगरानी

- 1- अखालेश श्रीवास्तव पुत्र स्व. रामचरन आयु 50 वर्ष निवासी यशकम्प्यूटर स्ट्रीट के सामने देहात धाना केहामने राजीव नगर विदशा
- 2- शोला श्रीवास्तव पुत्र रामचरन आयु 48
- 3- राकेश श्रीवास्तव पुत्र रामचरन आयु 52 निवासी गण - सी-74 न्यू मिनाल रैसी हेली जे.के.रोड गोविन्दपुरा भोपाल

मनीष कानूनी काम
 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24-9-18 नियत।
 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 17-9-18

--- आविदकगण बनाम

- 1- श्रीकृष्ण पुत्र बाबूलाल श्रीवास्तव
- 2- कृष्णलाल पुत्र बाबूलाल श्रीवास्तव
- 3- सुरेश नारायण पुत्र बाबूलाल निवासी गण ग्राम कुलकहार बासोदा जिला विदशा
- 4- रामशंकर पुत्र प्रेमनारायण श्रीवास्तव
- 5- गौरीशंकर पुत्र प्रेमनारायण
- 6- गणेश राम पुत्र प्रेमनारायण
- 7- द्रोपती पत्नी प्रेमनारायण
- 8- सुनीतापुत्री प्रेमनारायण निवासी गण - ग्राम कटारिया 5वी लाइनमंचल मण्डल सिंह सरदार दूधा डेयरी के पास भोपाल
- 9- उनाशंकर पुत्र वृन्दावन लाल निवासी ग्राम कुलकहार बासोदा जिला विदशा

---- रैस्पोंडेन्ट्स

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भा.रा.संहिता विरुद्ध आदेशा दिनांक 7.9.18 पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बासोदा जिला विदशाके प्रकरण क्र. 62/17 - 18 अपील उनवान श्रीकृष्ण व अन्य बनाम रामशंकर

Note 24-9-18

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5737/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष आनन्द उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	